दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 29 सितंबर, 2021

के मामले में:-

ज़मानत अर्ज़ी 3433/2021

बाली खान ....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री कमल जे.एस. मान, अधिवक्ता

बनाम

राज्य (रा.रा.क्षे. दिल्ली) .....प्रत्यर्थी

द्वारा: राज्य की अति.लो.अभि. सुश्री कुसुम ढल्ला

कोरम:
माननीय न्यायाधीश श्री सुब्रमोणयम प्रसाद

न्या., सुब्रमोणयम प्रसाद

फौ.वि.आवे. 14742/2021(छूट)

सभी न्यायसंगत अपवादों के अध्यधीन स्वीकृत की जाती है|

<u>ज़मानत अर्ज़ी 3433/2021</u>

1. यह आवेदन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 20 के तहत दंडनीय अपराध के लिए थाना अपराध शाखा , नई दिल्ली में दर्ज प्राथमिकी सं. 54/2020 दिनांक 24.02.2020 में याचिकाकर्ता को अंतरिम ज़मानत देने के लिए है।

2. याचिकाकर्ता 24.02.2020 से हिरासत में है।

3. फ़ाज़िल अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश , एनडीपीएस (केंद्रीय), तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली, ने याचिकाकर्ता को दिनांक 04.05.2021 के आदेश द्वारा इस आधार पर अंतरिम ज़मानत दी थी कि याचिकाकर्ता की पत्नी कोविड-19 के लिए पॉज़िटिव पाई गई थी। याचिकाकर्ता को दी गई अंतरिम ज़मानत पूर्ण रूप से मानवीय आधार पर थी। माननीय विचारण न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता की अंतरिम ज़मानत समय-समय पर 21.06.2021 तक बढ़ा दी गई थी। याचिकाकर्ता ने

21.06.2021 को आत्मसमर्पण किया था और तब से वह न्यायिक हिरासत में है।

4. याचिकाकर्ता ने इस आधार पर अंतरिम ज़मानत हेतु एक आवेदन दायर करके माननीय विचारण न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया कि वह दिनांक 09.07.2021 और 13.08.2021 के आदेशों के लाभ का हकदार है, जो माननीय उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा रि.या.(दी.) 4921/2021 शीर्षक न्यायालय अपने स्वयं के प्रस्ताव पर से बनाम राज्य (रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार)। हालाँकि, याचिकाकर्ता की उक्त ज़मानत अर्जी को फाज़िल अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश , एनडीपीएस (केंद्रीय), तीस हजारी न्यायालय , दिल्ली द्वारा दिनांक 09.09.2021 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

5. याचिकाकर्ता ने तत्काल ज़मानत आवेदन दायर करके इस न्यायालय का मूल रूप से दरवाज़ा इस आधार पर खटखटाया है कि रि.या.(दी.) 4921/2021 दिनांक 20.04.2021 में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने आदेश दिया था कि

इस न्यायालय के समक्ष लंबित सभी मामलों में और इस न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय जिसमें अंतरिम आदेश जारी किए गए हैं और 19.04.2021 को अधीन थे, अपने आप से ही 16.07.2021 तक या आगामी आदेशों तक विस्तारित किए जाएँगे। यह प्रतिवाद किया गया कि दिनांक 20.04.2021 के उक्त आदेश को उन व्यक्तियों के पक्ष में भी लागू किया गया था जिनके पक्ष में 20.04.2021 और 16.07.2021 के बीच अंतरिम आदेश/ज़मानत आदेश पारित किए गए थे। इसलिए , याचिकाकर्ता ने दावा किया कि अगर उसे उक्त आदेश के बारे में पता होता तो वह आत्मसमर्पण नहीं करता। यह बताया गया कि याचिकाकर्ता को रि.या.(दी.) 4921/2021 में माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा पारित आदेश का लाभ भी दिया जाना चाहिए।

6. सर्वोच्च न्यायालय ने स्वप्रेरणा से याचिका (दीवानी) सं. 01/2020 में उच्च न्यायालयों को कैदियों को कम करने के लिए दिशानिर्देशों को तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करने का निर्देश दिया था। दिल्ली उच्च

न्यायालय ने एक का गठन किया। दिनांक 04.05.2021 के उच्च स्तरीय समिति दिशानिर्देशों में उच्च स्तरीय समिति ने विचाराधीन कैदियों की कई श्रेणियों की पहचान की थी , जिन्हें उच्च स्तरीय समिति दिशानिर्देशों का लाभ दिया जा सकता था, जिससे जेलों में कोविड-19 न फैलने के लिए जेलों में कैदियों की संख्या को कम करने के लिए उच्च स्तरीय समिति दिशानिर्देशों के तहत अंतरिम ज़मानत पर रिहा किया जा सकता था। दिनांक 04.05.2021 के उच्च स्तरीय समिति दिशानिर्देशों ने विचाराधीन कैदियों की विशिष्ट श्रेणियों को भी निर्धारित किया जो उच्च स्तरीय समिति दिशानिर्देशों के लाभ के हकदार नहीं थे। उक्त श्रेणियाँ इस प्रकार हैं:-

> ***(i) ऐसे कैदी जिन पर एनडीपीएस अधिनियम के तहत मध्यस्थ/बड़ी मात्रा में वसूली के लिए मुकद्दमा चल रहा है;***
>
> *(ii) ऐसे विचाराधीन कैदी जिन पर पोक्सो अधिनियम की धारा 4 और 6 के अधीन मुकद्दमा चल रहा है;*
>
> *(iii) ऐसे विचारण कैदी जिन पर धारा 376, 376ए, 376एबी, 376बी, 376सी, 376डी, 376डीए, 376डीबी,*

और 376ई और एसिड अटैक के अधीन अपराधों के लिए मुकद्दमा चल रहा है;

(iv) ऐसे विचाराधीन कैदी जो कि विदेशी नागरिक हैं;

(v) ऐसे विचाराधीन कैदी जिन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पी.सी. अधिनियम) / पी.एम.एल.ए., मकोका के अधीन मुकद्दमा चल रहा है;

(vi) सीबीआई/ईडी/एनआईए/दिल्ली पुलिस की विशेष सेल, अपराध शाखा, एसएफआईओ, आतंक से संबंधित मामले, दंगा मामले, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम आदि के तहत जाँच किए गए मामले।"

"उपरोक्त छह श्रेणियों के अलावा, समिति ने उन विचाराधीन कैदियों को बाहर करने का विचार किया, जिन्होंनें पहले की बैठकों में अपनाए गए मानदंडों का लाभ उठाने के बाद अंतरिम ज़मानत पर रहते हुए नए अपराध किए थे।

इस प्रकार, सातवीं और आठवीं श्रेणी को भी प्रतिरोधित खंड में शामिल किया जाता है।

(vii) ऐसे विचाराधीन कैदी जो अब अपनी पूर्ववर्ती बैठकों में उच्च स्तरीय समिति द्वारा अपनाए गए मानदंडों के आधार पर अंतरिम ज़मानत की अवधि के दौरान

उनके द्वारा किए गए अपराध के लिए हिरासत में हैं;

(viii) ऐसे विचाराधीन कैदी जिन्हें अपनी पूर्व बैठकों में उच्च स्तरीय समिति द्वारा अपनाए गए मानदंडों के आधार पर अंतरिम जमानत दी गई थी, लेकिन आत्मसमर्पण आदेश के संदर्भ में आत्मसमर्पण करने में विफल रहे और अब हिरासत में हैं, केवल उसके/उनके खिलाफ गैर-ज़मानती वारंट के निष्पादन पर।" (ज़ोर दिया गया)

8. याचिकाकर्ता एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध का आरोपी है और इसलिए प्रतिरोधित श्रेणी में आता है। एक व्यक्ति जो एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध करने का आरोपी होता है उसे उच्च स्तरीय समिति के दिशानिर्देशों का लाभ देने का अधिकार नहीं होता है। याचिकाकर्ता को दिनांक 04.05.2021 के आदेश द्वारा माननीय विचारण न्यायालय द्वारा इस आधार पर अंतरिम ज़मानत दी गई थी कि उसकी पत्नी को कोविड-19 हो गया था और उसके दो छोटे बच्चें हैं जिनका उसे ध्यान रखना था। लेकिन इन कारणों से , याचिकाकर्ता को अंतरिम ज़मानत नहीं दी गई।

9. इस न्यायालय के समक्ष जो प्रश्न उत्पन्न हुआ है वह यह है कि क्या दिनांक 09.07.2021 और 13.08.2021 का आदेश याचिकाकर्ता पर यहाँ लागू होगा या नहीं। एक बार उच्च न्यायालय की उच्च स्तरीय समिति ने यह निर्धारित किया था कि जो व्यक्ति एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध के आरोपी हैं उन्हें उच्च स्तरीय समिति के दिशानिर्देशों का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए , याचिकाकर्ता उच्च स्तरीय समिति के दिशानिर्देशों का लाभ नहीं उठा सकता था। एक अभियुक्त के पक्ष में दी गई अंतरिम ज़मानत पूर्ण रूप से सहानुभूतिपूर्ण आधार पर है। उसे इस न्यायालय द्वारा पारित 09.07.2021 और 13.08.2021 के आदेशों का लाभ नहीं दिया जा सकता है। यदि ऐसा लाभ दिया जाता है तो इससे एक विषमता हो जाएगी जहाँ एक ओर एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध का आरोपी व्यक्ति उच्च स्तरीय समिति के दिशानिर्देशों का लाभ नहीं उठा सकता है और अंतरिम ज़मानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है , लेकिन एक व्यक्ति जिसके मामले को सहानुभूतिपूर्वक माना गया था और उसे अपनी पत्नी, बच्चों की देखभाल के लिए या परिवार में बीमारी या मृत्यु के कारण कुछ

आकस्मिकताओं के कारण अंतरिम ज़मानत दी गई है, उसे इस न्यायालय के अंतरिम आदेशों का लाभ मिलता रहेगा। यह विचाराधीन कैदियों के बीच एक कृत्रिम भेदभाव पैदा करेगा जो अन्यथा उच्च स्तरीय समिति के दिशानिर्देशों के लाभ के हकदार नहीं हैं और यहाँ पर याचिकाकर्ता | इस न्यायालय का यह मत है कि दिनांक 09.07.2021 और 13.08.2021 के आदेशों को पारित करते समय इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ का यह इरादा नहीं हो सकता था।

10. इसलिए, इस न्यायालय को दिनांक 09.09.2021 के आदेश में कोई विषमता नहीं मिली है जिसमें कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस (केंद्रीय), तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली द्वारा याचिकाकर्ता की ज़मानत को खारिज कर दिया गया था।

11. तदनुसार, आवेदन का निपटान किया जाता है।

न्या., सुब्रमोणयम प्रसाद

29 सितंबर, 2021
एस. ज़ाकिर

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सके एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी|*